निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक 1943 (श0)
(सं0 पटना 879) पटना, बुधवार, 27 अक्तूबर 2021

I aE2@vkjks&01&2@2018&9131@I k0ç0
सामान्य प्रशासन विभाग

———

संकल्प
19 अगस्त 2021

श्री आनन्द प्रकाश (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1088/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा, मधुबनी के विरूद्ध वर्ष 2007–08 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 14वीं लोकसभा के माननीय सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र की अनुशंसा के अनुसार स्वीकृत निम्नांकित योजनाओं को ससमय पूर्ण कराये जाने में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने संबंधी आरोप के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 344904 दिनांक 26.12.2017 के माध्यम से जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 1211 दिनांक 30.11.2016 द्वारा गठित आरोप–पत्र प्राप्त हुआ। जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त आरोप–पत्र एवं संचिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभागीय स्तर से गठित आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों के लिए श्री प्रकाश से स्पष्टीकरण की गयी।

श्री प्रकाश के विरूद्ध आरोप–पत्र में गठित आरोप निम्नलिखित है :–

**आरोप** :– इनके द्वारा वर्ष 2007–08 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 14वीं लोकसभा के माननीय सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र की अनुशंसा के अनुसार स्वीकृत निम्नांकित योजनाओं को ससमय पूर्ण कराये जाने में उदासीनता एवं लापरवाही बरती गयी।

| Ø0 | ;kstuk dk uke | ç'kkfud Loh–fr dh jkf'k |
|---|---|---|
| 1 | घोघरडीहा प्रखंड के अन्तर्गत महदेवा गाँव के कपिलेश्वर बाबा के घर के सामने तालाब के पास सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य। | 325000.00 |
| 2 | घोघरडीहा प्रखंड के अन्तर्गत पिरोजगढ़ की घेराबंदी कार्य। | 350000.00 |

उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रमांक–01 की योजना हेतु मो0 325000.00 (तीन लाख पचीस हजार) रूपया तथा क्रमांक–02 की योजना हेतु मो0 350000.00 (तीन लाख पचास हजार) रूपया की राशि के साथ श्री प्रकाश, प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा को उपलब्ध करायी गयी, लेकिन उनके द्वारा योजना को पूर्ण कराने में अभिरूचि नहीं ली गयी तथा समुचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप योजना अपूर्ण रही।

श्री प्रकाश के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 6009 दिनांक 23.06.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। उक्त के आलोक में श्री प्रकाश के पत्रांक 49 दिनांक 16.07.2020 द्वारा योजनावार स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री प्रकाश द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 9123 दिनांक 01.10.2020 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की मांग की गयी, जिसके आलोक में जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 1295 दिनांक 27.07.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री प्रकाश द्वारा योजना संख्या–01 के संदर्भ में समर्पित स्पष्टीकरण को आंशिक स्वीकार योग्य एवं योजना संख्या–02 के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया।

श्री प्रकाश के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त मंतव्य की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री प्रकाश के विरूद्ध उनके पदस्थापन अवधि में वर्ष 2007–08 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 14वीं लोकसभा के माननीय सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के एच्छिक कोष से स्वीकृत योजनाओं को ससमय पूर्ण करने की दिशा में उदासीनता बरतने से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि घोघरडीहा प्रखंडन्तर्गत महदेवा गांव के कपिलेश्वर बाबा के घर के सामने तालाब के पास सार्वजनिक भवन का निर्माण योजना के कार्यान्वयन के निमित जिला मुख्यालय से विमुक्त की गयी प्रथम किस्त के रूप में 1,62,500.00 रू0 (मो0 एक लाख बासठ हजार पाँच सौ रूपये) के लिए श्री प्रकाश के कार्यकाल के दौरान अग्रिम के रूप में भुगतान किये गये कार्य की मापी मात्र 86,428.00 रू0 (छियासी हजार चार सौ अठाईस रू0) का ही दर्ज किया गया है, अर्थात् योजना कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। साथ ही पिरोजगढ़ कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य योजना कार्यान्वयन हेतु विमुक्त किये प्रथम किस्त की राशि 1,75,000.00 (एक लाख पचहत्तर हजार) रू0 योजना पूर्ण करने की समय–सीमा तीन माह निर्धारित करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा को राशि भेजा गया। किन्तु श्री प्रकाश द्वारा उक्त योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया दिनांक 16.12.2008 से प्रारम्भ की गयी तथा प्रथम विमुक्त राशि का उपयोग दिनांक 16.03.2010 तक किया गया, अर्थात् योजना कार्यान्वयन की गति काफी धीमी रही तथा एक वर्ष तीन माह में भी योजना कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका। वर्णित दोनों योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन में उदासीनता एवं पर्यवेक्षण का अभाव पाया गया है। श्री प्रकाश द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु दिये गये दिशानिदेर्शों का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके कारण से योजना को ससमय पूर्ण नहीं किया जा सका। जिला पदाधिकारी द्वारा भी श्री प्रकाश के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाया गया है। उल्लेखनीय है कि सांसद मद से लोक कल्याणकारी योजनाओं का कार्य कराया जाता है। श्री प्रकाश द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण योजनाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया एवं निर्माण कार्य के कार्य में लापरवाही बरती गयी, जो एक लोक सेवक के लिए कर्त्तव्यहीनता का द्योतक है। इनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के प्रतिकूल है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री प्रकाश के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए इनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19(1) के प्रावधान के तहत नियम–14 में अंकित **(i) fuUnu ¼vkjksi o"kZ 2007&08½ (ii) l{k; h çHkko ds fcuk nks osru o`f) ij jksd** का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री आनन्द प्रकाश (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1088/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, घोघरडीहा, मधुबनी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

**(i) fuUnu ¼vkjksi o"kZ 2007&08½**

**(ii) l{k; h çHkko ds fcuk nks osru o`f) ij jksd A**

**vkns'k %& vkns'k fn;k tkrk gS fd bl ladYi dh izfr fcgkj jkti= ds vxys vlk/kkj.k vad esa çdkf'kr fd;k tk; rFkk bl dh izfr lHkh lacaf/kr inkf/kdkfj;ksa dks Hkst nh tk; A**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
**शिवमहादेव प्रसाद,**
सरकार के अवर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 879-571+10-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**